दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शनिवार, 26 मार्च 2022 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-04, अंक- 176

योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार ली सीएम पद की शपथ

नई दिल्ली (आरएनएस)। योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है. पूर्ण बहुमत से जीतने पर भी सरकार के गठन में दो हफ्ते का समय लगा और मंत्रियों के नामों को देखकर यह बात साफ हो गई कि आखिर इसमें इतनी देर क्यों हो रही थी.लखनऊ के इकाना स्टेडियम, जिसका नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम हो गया है, में गुरुवार को योगी आदित्यनाथ ने दो उप मुख्यमंत्रियों समेत 52 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. दस मार्च को चुनाव परिणाम आने के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार योगी आदित्यनाथ की सरकार में दो डिप्टी सीएम होंगे या नहीं और होंगे तो कौन होंगे? इन सब कयासों पर से आज पर्दा उठ गया. केशव प्रसाद मौर्य को विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाया गया जबकि पिछले उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा को हटाकर उनकी जगह ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है. ब्रजेश

पाठक लखनऊ की कैंट विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं और पिछली योगी सरकार में कानून मंत्री रहे हैं. सहयोगी दलों को भी कैबिनेट में जगह योगी मंत्रिमंडल में पीएमओ में कार्यरत रहे पूर्व आइएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को भी जगह दी गई है जबकि बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस के विधायक आशीष पटेल और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है. विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाली बेबी रानी मौर्य को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है. पिछली बार उप मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर दिनेश शर्मा के साथ ही श्रीकांत शर्मा, सतीश महाना, रमापति शास्त्री, जयप्रताप सिंह, सिद्धार्थनाथ सिंह और आशुतोष टंडन जैसे कई हाईप्रोफाइल नेताओं को इस बार योगी कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकी है. सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम पिछली योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे श्रीकांत शर्मा का है जो मथुरा से लगातार दूसरी बार एक लाख से भी ज्यादा मतों से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं. यह भी पढ़ें: पांच साल सत्ता में रहने के बाद भी कैसे जीत गई बीजेपी योगी सरकार में फिलहाल 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और बीस राज्यमंत्री बनाए गए हैं. मंत्रिपरिषद में जातीय समीकरणों को खास तवज्जो दी गई है और मंत्रियों के नाम देखकर यह भी साफ पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा इसमें केंद्रीय नेतृत्व की पसंद को भी खासा महत्व मिला है. केंद्रीय नेतृत्व की पसंद का भी ध्यान विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जाना और अरविंद कुमार शर्मा को कैबिनेट में शामिल करना इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं. अरविंद कुमार शर्मा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास पसंद होने के बावजूद योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार उन्हें अपनी कैबिनेट में जगह नहीं दी, यहां तक कि राज्यमंत्री भी नहीं बनाया था. इस बार उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के पीछे यह माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर एक बार फिर उन्हें कैबिनेट में शामिल करने का दबाव था जिसे वो इनकार नहीं कर सके.

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कानपुर नगर से एक भी मंत्री नहीं,देहात से तीन बने मंत्री

योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जो मंत्रिमंडल तैयार किया गया है,उसमें कानपुर को मायूसी हाथ लगी है। यूपी में पहली बार ऐसा हुआ है जब सूबे में भाजपा की सरकार हो और कानपुर को कोई मंत्री पद न मिला हो। अलबत्ता इस बार कानपुर देहात को काफी वरीयता दी गई है। कानपुर देहात से तीन चेहरों को योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। कानपुर देहात के इन तीन चेहरों के साथ जातीय गणित को भी साधा गया है। लेकिन दबी जुबां से कानपुर के कई भाजपाई यह कहने लगे हैं कि जिन विपरीत स्थितियों में कानपुर ने भाजपा को मजबूती प्रदान की, इस बार के मंत्रिमंडल में उसे ही शून्य कर दिया गया। योगी सरकार के इस बार के मंत्रिमंडल को जातीय समीकरणों के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।इन सबके बावजूद कानपुर के भाजपा नेता और कार्यकर्ता निराश हैं। कई नेताओं ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि कानपुर के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसके पीछे आधार बताते हुए वह कहते हैं कि कानपुर में 10 से से सात विधानसभा सीटों पर भाजपा जीती, तो उसे मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया, वहीं चार सीटों वाले कानपुर देहात में तीन तीन मंत्री पद दे दिए गए। बता दें कि योगी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए गए राकेश सचान, कानपुर देहात की भोगनीपुर विधानसभा से, प्रतिभा शुक्ला अकबरपुर रनियां विधानसभा से और अजीत पाल सिकंदरा विधानसभा से जीते थे।राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी कहना है कि इन तीनों चेहरों में दलबदलुओं को ही प्राथमिकता दी गई है। कानपुर में सबसे ज्यादा वोटों से जीते हैं महाना।

महत्वपूर्ण एवं खास

आत्मनिर्भर हो रहा है भारत, अब 107 रक्षा उपकरण देश में ही तैयार होंगे : रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली (आरएनएस)। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा तकनीकों के निर्माण में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। उसने 107 रक्षा उपकरणों/कलपुर्जों की एक सूची जारी की है जिनका निर्माण आगामी समय में देश में ही किया जाएगा और तय समय के बाद इनके विदेशों से आयात को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। भविष्य में इन तकनीकों की खरीद सिर्फ भारतीय कंपनियों से होगी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि इन 107 कलपुर्जों को दिसंबर 2022 से लेकर दिसंबर 2028 के बीच देश में ही बनाया जाएगा और इनके आयात को उपरोक्त तिथियों के बाद बंद कर दिया जाएगा। इनमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर में इस्तेमाल होने वाले 22 कलपुर्जे, संचार उपकरण, राडार में इस्तेमाल होने वाले उपकरण, आर्म्ड वाहन में इस्तेमाल होने वाले सब सिस्टम, टी-90 टैंकों के पुर्जे आदि शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि इन उपकरणों का निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा किया जाएगा। इनके डिजाइन एवं विकास में निजी कंपनियों की भी मदद ली जाएगी जिससे भारतीय उद्योग के समक्ष रक्षा निर्माण क्षेत्र में नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी। इससे अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिलेगी। रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा अब तक ऐसे उपकरणों के देश में निर्माण को लेकर पूर्व में 2851 ऐसे आइटम की सूची पिछले साल 27 दिसंबर को जारी की गई थी।

आतंकियों की बड़ी साजिश, मंत्रालय और भारत भवन की रैकी की थी

भोपाल (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के आतंक रीधे दस्ते (एटीएस) द्वारा गिरफ्तार किए गए जमात-ए-मुजाहिद्दीन संगठन के चारों आतंकियों के मंसूबे बेहद खतरनाक थे। लंबी पूछताछ और मददगारों के गिरफ्तार होने के बाद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि आतंकी अपने मददगारों के साथ शहर की रैकी करते थे। उन्होंने बाइक से मंत्रालय, विधानसभा, भारत भवन जैसी अहम इमारतों की रैकी की थी। बता दें कि 13 मार्च को ऐशबाग इलाके से चार बांग्लादेशी आतंकियों को एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इनमें फजहर अली, मोहम्मद अकील, जुहूरउद्दीन और फजहर जैनल शामिल थे। इन आतंकियों को 14 मार्च को कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड मांगी गई थी। 28 मार्च तक आरोपित रिमांड पर हैं। इनसे मिले सुराग के आधार पर मददगार शाहबान को करीब इलाके से एटीएस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सुराग मिला कि आरोपित शाहबान की मदद से लोगों के साथ बैठक करते थे। उनको जेहादी साहित्य भी बांटा करते थे। बुधवार को विदिशा के नटेरन से उस्मान को भी एटीएस ने आतंकियों के मददगारों के रूप में गिरफ्तार किया है। उनसे अभी पूछताछ चल रही है। दोनों मददगार मूल रूप से विदिशा के रहने वाले हैं। इनके घर पर भी आतंकियों का आना जाना था। इन मददगारों ने ही आतंकियों को मंत्रालय, विधानसभा, भारत भवन, बोट क्लब और रानी कमलापति महल के आसपास का इलाका दिखाया था। वह घूमना अधिक पसंद करते थे। उन्होंने चंद माह में ही शहर के अधिकांश स्थानों की जानकारी जुटा ली थी। बंगाल से गिरफ्तार आतंकियों के एक और साथी को एटीएस की टीम बंगला रवाना हो गई है। भोपाल लेकर चारों आमने-सामने बैठाकर चारों से पूछताछ की जाएगी। इसके बाद और भी अहम जानकारी सामने आ सकती है।

होटल पर फायरिंग, ग्राहक समेत 2 की मौत

हाजीपुर (आरएनएस)। बिहार के वैशाली जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक होटल पर गोलीबारी कर दी, जिसमे होटल मालिक समेत दो लोगों की मौत हो गई। फिलहाल घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के चौरसिया चौक के समीप बसंत विहार लाइन होटल पर बीती देर शाम अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना में गोली लगने से एक परिवार के चालक और होटल मालिक के भाई की मौत हो गई। हाजीपुर (सदर) के अनुमंडल पुलिस अधिकारी राघव दयाल ने बताया कि मृतकों की पहचान सुल्तानपुर निवासी लाला राय और होटल काउंटर पर बैठे होटल मालिक के भाई विवेक उर्फ पेंटर के रूप में की गई है।

बीरभूम हिंसा और आगजनी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब सीबीआई को सौंपा केस

कोलकाता (आरएनएस)। बीरभूम हिंसा और आगजनी केस की अब सीबीआई जांच होगी। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसका आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भडक़ी थी। हिंसा में दो बच्चों और तीन महिलाओं समेत 8 लोगों की मौत हुई है। वहीं फोरेंसिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इन लोगों को जिंदा जलाया गया है। सभी आठ लोगों को नरसंहार से पहले बुरी तरह पीटा गया था।

वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रनील खान ने कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा सीबीआई जांच के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आशा है कि इससे पीडि़त परिवारों को न्याय मिलेगा।वहीं घटना में अब तक कम से कम 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राज्य सरकार ने कथित रूप से लापरवाही बरतने के आरोप में कई प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।

इसी कड़ी में गुरुवार को मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में रामपुरहाट के थाना प्रभारी त्रिदिप प्रामाणिक को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इसकी के साथ ही एसडीपीओ श्रीशायन अहमद का ट्रांसफर कर उन्हें विभाग से अटैच किया गया है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य पुलिस प्रमुख को बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में हुई 8 लोगों की हत्या के संबंध में नोटिस जारी किया है। आयोग ने लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाली रिपोर्ट चार हफ्तों के अंदर पेश करने के निर्देश भी दिए हैं।

सीआरपीएफ के जवान हुए फूड पॉइजनिंग के शिकार, अस्पताल में भर्ती

सुकमा (आरएनएस)। जिले के चिंतागुफा थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ कैंप के 150 वीं बटालियन के सी कंपनी के 28 जवान फूड प्वॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात कैंप में खाना खाने के बाद जवानों की तबीयत बिगडऩी शुरू हो गई थी। जवानों को पेट में दर्द, उल्टी जैसे लक्षण दिखने लगे, जिसके बाद सभी जवानों को सीआरपीएफ के फील्ड अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सभी 28 जवानों का उपचार चल रहा है, बीमार सभी जवान खतरे से बाहर हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात को कैंप में जवानों के लिए विशेष दावत थी। हर दिन की अपेक्षा अलग-अलग तरह के पकवान बनाए गए थे। जवानों ने भी जमकर दावत

उड़ाई, इसके बाद सबकी तबियत खराब होने लगी। सीआरपीएफ के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। बीमार जवान सीआरपीएफ के डॉक्टर की निगरानी में है, सभी की स्थित सामान्य बताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि गुरुवार को कैंप में जवानों के लिए विशेष दावत थी। हर दिन की अपेक्षा अलग-अलग तरह के पकवान बनाए गए थे। आशंका जताई जा रही है कि कैंप में रात में खाना बनाने के लिए जिस सरसों तेल का इस्तेमाल किया गया था वह पुराना था। उसे काफी दिन पहले कैंप में लाकर रखा गया था। फिलहाल सीआरपीएफ के अफसर मामले की जांच कर रहे हैं। अफसरों ने कहा कि, सीआरपीएफ के डॉक्टर सभी बीमार जवानों का उपचार कर रहे हैं। सभी की स्थित ठीक है। बीमार सभी जवान खतरे से बाहर हैं।

नक्सल प्रभावित इलाके में स्थित है कैंप सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाके चिंतागुफ ा में सीआरपीएफ 150वीं बटालियन का कैंप स्थित है। इस कैंप में सीआरपीएफ के सैकड़ों जवान पदस्थ हैं। कैंप के जवान रोजाना गश्त पर भी निकलते हैं। ऐसे में एक साथ इतनी संख्या में जवानों का बीमार होना चिंता का विषय है।

हिजाब विवाद पर तुरंत सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि उचित समय पर सुनवाई होगी. कर्नाटक में कक्षाओं के अंदर हिजाब पर प्रतिबंध पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. याचिकाकर्ताओं ने आगामी स्कूल परीक्षाओं का हवाला देते हुए इस मुद्दे को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने की मांग की थी. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने अदालत से कहा, यह जरूरी है. परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, यही मुद्दा है कामत ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए कहा था कि छात्रों को परीक्षा में बैठने के दौरान हिजाब पहनने के विकल्प से वंचित किया

जा रहा है. उन्होंने कहा कि परीक्षा 28 मार्च से शुरू हो रही है और स्टूडेंट्स को एक साल का नुकसान होगा क्योंकि अधिकारी हिजाब के साथ कॉलेज में दाखिल होने की इजाजत नहीं दे रहे हैं. इस पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि इस मामले का परीक्षा से कोई लेनादेना नहीं है. सीजेआई ने कहा, इस मुद्दे को सनसनीखेज न बनाएं कामत मुस्लिम छात्रा आएशात शिफा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रहे हैं. हालांकि यह पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई से इनकार किया है, इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया था सीजेआई ने तब कर्नाटक हाईकोर्ट को अपना फैसला सुनाने तक इंतजार करने के लिए कहा था. तत्काल सुनवाई नहीं इस्लामोफोबिया पर यूएन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित, भारत की आपत्ति हाईकोर्ट के फैसले के तुरंत बाद इसको चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, हालांकि तब कोर्ट होली के बाद मामले को सूचीबद्ध करने के लिए राजी हो गया था. 15 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा था कि हिजाब इस्लाम के अनिवार्य धार्मिक व्यवहार का हिस्सा नहीं है और इस तरह संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित नहीं है. साथ ही हाईकोर्ट ने कहा था कि छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते हैं और स्कूल यूनिफॉर्म पहनने का नियम वाजिब पाबंदी है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार के आदेश को चुनौती का कोई आधार नहीं है. हिजाब पर विवाद और मुस्लिम पहचान का सवाल यह विवाद तब शुरू हुआ जब कर्नाटक के उडुपी में एक कॉलेज की छह छात्राओं ने कक्षा में हिजाब पहनने से रोक जाने के बाद विरोध किया था. धीरे-धीरे विवाद अन्य जिलों तक फैल गया. छात्राओं के हिजाब पहनने के विरोध पर हिंदू छात्रों ने भगवा गमछा पहनकर कक्षाओं में आने की मांग की, और विरोध कर रहीं मुस्लिम छात्रों का रास्ता रोका जिससे कक्षाएं बाधित हुई थीं. कर्नाटक की बीजेपी सरकार इस फैसले को लागू कराने के लिए सख्ती कर रही है, वहीं कुछ छात्राओं ने हिजाब के साथ कॉलेज में दाखिल नहीं पर कक्षाओं के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था.

पेगासस जासूसी कांड पर जांच आयोग ने 11 अहम सवालों पर मांगी जनता की राय

नई दिल्ली (आरएनएस)। बहुचर्चित पेगासस जासूसी मामले की जांच कर रहे न्यायमूर्ति रवींद्रन आयोग ने 11 अहम सवालों पर अब जनता की राय मांगी है। राय देने के लिए 31 मार्च अंतिम तिथि है। इन सवालों में यह भी पूछा गया है कि क्या सरकारी जासूसी या निगरानी की सीमा रेखा तय की जानी चाहिए? यदि किसी की लगातार निगरानी की जाए तो क्या उसके लिए कोई शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए?

यह आयोग सुप्रीम कोर्ट ने गठित किया है। इस्राइली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस पर मचे बवाल के बाद इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आरवी रवींद्रन इस जांच आयोग के प्रमुख हैं। आयोग में गुजरात के गांधीनगर के राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नवीन कुमार चौधरी, केरल के अमृता विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग पढ़ाने वाले प्रभारण पी और आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर अश्विन अनिल गुमस्ते शामिल हैं।

याचिका में जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए निजता के अधिकार के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि यह अत्याधुनिक जासूसी सिस्टम इस्राइल की कंपनी ने सिर्फ सरकारों और उनकी एजेंसियों को ही बेचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने अक्तूबर में जासूसी के आरोपों की जांच के लिए इस समिति का गठन किया था।

गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा, 15 साल में 0.23 वर्ग किलोमीटर इलाके का अब नामोनिशान नहीं

नई दिल्ली (आरएनएस)। उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से पिघल रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राज्यसभा को बताया कि गंगोत्री ग्लेशियर ने 15 वर्षों में लगभग 0.23 वर्ग किमी क्षेत्र खो दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके परिवर्तनों की निगरानी कर रहा है। यादव ने कहा कि इसरो से मिली जानकारी के अनुसार, 2001 से 2016 तक 15 साल की समय सीमा में गंगोत्री ग्लेशियर का 0.23 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पिघलकर समाप्त हो गया है।

यादव का बयान भाजपा नेता महेश पोद्दार के सवाल के जवाब में था, जिसमें उन्होंने उन रिपोर्ट्स की पुष्टि करने की मांग

की थी कि वायुमंडल में ब्लैक कार्बन की उपस्थिति के कारण ग्लेशियर पिघल रहा है। ग्लेशियर किस हद तक पिघल रहा है? पिछले दो दशक में निचली घाटियों में बसावटों की सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? इन सवालों को लेकर उन्होंने जानकारी मांगी थी। यादव ने कहा कि हिमालय के ग्लेशियर किस हद तक पीछे हट गए हैं, यह जटिल मामला है। इसका अध्ययन भारत और दुनिया भर के वैज्ञानिकों की ओर से अलग-अलग केस स्टडीज की जांच, डेटा संग्रह और विश्लेषण के जरिए किया जाता है।

ग्लेशियर को लेकर बड़े पैमाने पर अध्ययन की जरूरत

मंत्री ने सदन को बताया, हिमालय में स्थिर, पीछे हटने वाले या यहां तक कि आगे बढऩे वाले ग्लेशियर हैं, जिससे हिमनदों की गतिशीलता की जटिल भौगोलिक और चक्रीय प्रकृति पर जोर दिया जाता है। अध्ययन से पता चलता है कि हिमालयी क्षेत्र में ब्लैक कार्बन की उपस्थिति का अंदाजा हुआ है। हालांकि, गंगोत्री ग्लेशियर के बड़े पैमाने पर नुकसान और पीछे हटने पर इसके प्रभाव का अध्ययन नहीं किया गया है।

जलवायु परिवर्तन में ब्लैक कार्बन का अहम रोल

ब्लैक कार्बन वैश्विक जलवायु परिवर्तन में एक प्रमुख कारक के रूप में उभरा है। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद यह दूसरे स्थान पर आ सकता है। काले कार्बन कण सूर्य के प्रकाश को मजबूती से अवशोषित करते हैं। यह जीवाश्म ईंधन, जैव ईंधन और बायोमास के अधूरे दहन के कारण प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होता है।

तापमान में वृद्धि की वजह से हिमनद पीछे हट रहे

गंगोत्री ग्लेशियर की कहानी कई अन्य ग्लेशियरों से अलग नहीं है। अगर आप संसद में पहले के कुछ उत्तरों पर गौर करें, तो यह ग्लेशियर लिटिल आइस एज के बाद से पीछे हट रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 1870 से इसके पीछे हटने की निगरानी कर रहा है। इसके पीछे हटने की दर 60 और 70 के दशक में तेज हो गई थी। जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में वृद्धि की वजह से हिमालय के अधिकांश हिमनद पीछे हट रहे हैं। तापमान में वृद्धि की दर वैश्विक औसत से काफी अधिक है। हाल के दशकों में हिमपात से भी अधिक वर्षा हुई है। इसलिए, काराकोरम में कुछ अपवादों को छोडक़र अधिकांश हिमनद प्रभावित हैं।